

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनिरातन कम्पनी

(भारत सरकार का एक उपक्रम)


दरभंगा हाउस, राँची 834029, झारखंड

CENTRAL COALFIELDS LIMITED

A Miniratna Company

(Govt. of India Undertaking)

DARBHANGA HOUSE, RANCHI 834029



पत्रांक संख्या :-पीआरडी/कोटेशन/20-21/302

दिनांक :04/09/2020

सूचना

सीसीएल मुख्यालय राँची के जनसम्पर्क विभाग द्वारा पुराने अखबार और पत्रिकाएँ (Old Newspapers & Magazines) की बिक्री किया जाना है। इच्छुक अखबार हॉकरो व रद्दी के क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक: 19/09/2020 के पूर्वाह्न 02:30 बजे तक जनसम्पर्क विभाग में पुराने अखबार और पत्रिकाएँ की खरीद हेतु ऑफर रेट/कोटेशन (प्रति किलो के दर से) बंद लिफाफे में जमा कर सकते हैं। उसी दिन (दिनांक: 19/09/2020) कमेटी के सदस्यों द्वारा पूर्वाह्न 03:00 बजे जनसम्पर्क विभाग, सीसीएल, राँची में बंद लिफाफे में प्राप्त ऑफर रेट/कोटेशन को सभी उपस्थित हॉकर व रद्दी के क्रेताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाएगा।

अतः पुराने अखबार और पत्रिकाएँ की खरीद हेतु ऑफर रेट/कोटेशन (प्रति किलो के दर से) बंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 19/09/2020 को पूर्वाह्न 02:30 बजे तक जमा करें।

भ व दी य

अनुपम 4/9/2020

(अनुपम कुमार राणा)

विभागाध्यक्ष (जनसम्पर्क)

(0651-2360386)

वितरण

- 1 सीसीएल के सभी सूचना पट्ट
- 2 सीसीएल के वेबसाइट

नोट

- नोट 1: कोटेशन जमा करने वाले हॉकर व रद्दी के क्रेताओ या उनके प्रतिनिधि उपरोक्त कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते है ।
- नोट 2: कोटेशन जमा करने वाले हॉकर व रद्दी के क्रेताओ या उनके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने पर भी कोटेशन खोलने की प्रक्रिया की जाएगी ।
- नोट 3: अपने कोटेशन में हॉकर व रद्दी के क्रेताओ द्वारा प्रतिकिलो का दर देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कोटेशन रदद की जा सकती है ।
- नोट 4: उच्चतम दर के आधार पर चयन किए गए हॉकर या रद्दी के क्रेता को कैश विभाग, दरभंगा हाउस, सीसीएल, राँची में कंपनी के एकाउंट में नियामनुसार बेचे गए पुराने अखबार और पत्रिकाएँ की खरीद हेतु उसके द्वारा जमा दर के अनुसार कुल राशि का भुगतान करना पड़ेगा । इस राशि के अलावा चयनित हॉकर या रद्दी के क्रेता को 5% की दर से GST भी जमा करना होगा ।